न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 01/2011

प्रार्थीः—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
1 सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड जंक्शन	1	रेयत कृषि सहकारी समिति खारडी तहसील मा0जं0 जरिये प्रबन्धक जसराज दर्जी एवं अन्य सदस्यगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व (सहकारी समितियों को भू आवंटन) नियम 1959 के तहत आवंटित भूमि को निरस्त करने बाबत।

उपस्थित :—

1. सरकारी पैरोकार
2. श्री महेन्द्र व्यास, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी

—: निर्णय :—

दिनांक 29.12.2017

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व (सहकारी समितियों को भूमि आवंटन) नियम 1959 के तहत आवंटित भूमि के आवंटन को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थी के विरूद्ध पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी एवं सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खारडी तहसील मा0जं0 के खसरा नम्बर 962, 963, 964, 967, 1056, 1058, 1058/1147 तथा 1059 कुल खसरा 8 जिसका कुल रकबा 96.5550 हैक्टेयर भूमि रेयत कृषि सहकारी समिति, खारडी को सामूहिक रूप से काश्त करने हेतु आवंटन की गई थी। उक्त सोसायटी की वर्तमान स्थिति एवं सोसायटी वर्तमान में कार्यशील नही है तथा न ही कार्यालय है। सोसायटी के सदस्यों द्वारा खेती नही की जाती है। सदस्यगण व्यक्तिगत रूप से खेती करते है। सोसायटी के सदस्यों द्वारा कभी भी सामूहिक रूप से खेती नही की गई है एवं सोसायटी नियमों की पालना नही की गई है। अप्रार्थी द्वारा नियम 1959 के नियम 5 में वर्णित शर्तो की पालना नही की है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कराते हुए अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त करावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया प्रकरण में समस्त आवंटी गरीब व्यक्ति है तथा भूमिहीन है। राजस्थान भू राजस्व (सहकारी समिति को भूमि आवंटन) नियम 1959 के नियम 3 के अनुक्रम में उक्त भूमि सदस्यों को कृषि कार्य हेतु उपलब्ध करवाई है। उक्त भूमि पर आवंटियों का कब्जा काश्त है। समिति वर्तमान में क्रियाशील है तथा प्रतिवर्ष ऑडिट करवाई जाती है। समिति द्वारा आवंटन नियमों की पूर्ण पालना की गई। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम खारडी तहसील मा0जं0 के खसरा नम्बर 811962, 963, 964, 967, 1056, 1058, 1058/1147 तथा 1059 कुल खसरा 8 जिसका कुल रकबा 96.5550 हैक्टेयर भूमि रेयत कृषि सहकारी समिति, खारडी प्रबन्धक जसराज दर्जी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि सहकारी समिति को राजस्थान भू राजस्व (सहकारी समितियों को भूमि आवंटन) नियम 1959 के तहत आवंटित हुई थी। उक्त समिति के सदस्यों द्वारा हस्तगत प्रकरण में वर्णित भूमि सामूहिक कृषि न कर व्यक्तिगत कृषि हेतु उपयोग में ली जा रही है। इस प्रकार समिति द्वारा उक्त भूमि अपने सदस्यों को व्यक्तिगत कृषि हेतु हस्तान्तरित की जा चुकी है। जो कि राजस्थान भू राजस्व (सहकारी समितियों को भू—आवंटन) नियम, 1959 की धारा 5 (4)(ग) के उल्लंघन की श्रेणी में परिलक्षित होता है। जिसके कारण रेयत कृषि सहकारी समिति खारडी जरिये प्रबन्धक जसराज दर्जी को किया गया आवंटन विधि सम्मत नही पाया जाता है।

अति० जिला कलेक्टर, पाली

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेयत कृषि सहकारी समिति खारडी जरिये प्रबन्धक जसराज दर्जी द्वारा राजस्थान भू राजस्व (सहकारी समितियों को भू–आवंटन) नियम, 1959 की धारा 5 (4)(ग) का उल्लंघन करने के कारण रेयत कृषि सहकारी समिति खारडी को ग्राम खारडी तहसील मा0जं0 के खसरा नम्बर 962, 963, 964, 967, 1056, 1058, 1058/1147 तथा 1059 कुल खसरा 8 जिसका कुल रकबा 96.5550 हैक्टेयर भूमि के आवंटन को निरस्त किया जाता है तथा भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज करने के आदेश तहसीलदार मारवाड जंक्शन को दिये जाते है, साथ ही तहसीलदार मा0जं0 को निर्देश दिये जाते है कि वे भूमि को राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज कर कब्जा प्राप्त करें। इस निर्णय की प्रति तहसीलदार मारवाड जंक्शन को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 29.12.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली